Annexure - LVIII

सत्यमेव जयते

उत्तराचंल सूचना आयोग

सैक्टर 1, सी–10, डिफैन्स कालोनी, देहरादून
फोन : (0135) 2666778/2666779 फैक्सः

पत्रांक : 2389/116बी/उ.सू.आ./2007 दिनांक : 15/5/2007

समस्त विभागध्यक्ष (संलग्न सूची के अनुसार)

विषय– अभिलेखो प्रबन्धन एवं उनके विनिष्टीकरण के सम्बन्ध में नियमों का प्रख्यापन।

सूचना का अधिकार, अधिनियम, के संदर्भ में सूचना का प्रबन्ध (Record Managemen in the Context of RTI Act) पर उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा एक वृहद कार्यशाला का आयोजन दिनांक 28.10.2006 को मंथन सभागार देहरादून में किया गया था। उक्त कार्यशाला में मुख्य रूप से विभिन्न विभागों के निदेशक/अपर निदेशक स्तर के अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया था। उक्त कार्यशाला का कार्यवृत्त आयोग के पत्रांक : 3815/उ.सू.आ./2006, दिनांक 22 नवम्बर, 2006 के माध्यम से समस्त निदेशालय स्तरीय लोक प्राधिकारियों को भेजा गया। कार्यशाला में हुई चर्चा के आधार पर समस्त प्राधिकारियों से अपेक्षा की गयी थी कि वह ''Destruction of Records ACT'' 1917 की धारा 3 के अंतर्गत अपने अधिकार क्षेत्र में रखे गये अभिलेखों के रखरखाव एवं उनके विनिष्टीकरण के सम्बन्ध में नियमावली बनाकर उसे प्रख्यापित करने की कार्यवाही सम्पन्न करेंगे। यह भी अपेक्षा की गयी थी कि जिन लोकप्राधिकारी इकाईयों में पहले से ही उक्त अधिनियम के अंतर्गत नियम प्रख्यापित हैं तो उन नियमों में किसी संशोधन की आवश्यकता हो तो तद्नुसार कार्यवाही सम्पन्न की जाये। इसके अंतर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 27 (2)(एफ) के अंतर्गत भी सक्षम प्राधिकारी स्तर से भी नियम बनाकर कार्यवाही की जा सकती है।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि इस सम्बन्ध में आपके विभाग द्वारा यदि नियम बनाकर प्रख्यापित कर लिए गये हों तो आयोग का विलम्बतः उसकी एक प्रति 10 दिनों के अंदर प्रेषित करने का कष्ट करें। यदि पूर्व से ही ''Destruction of Records ACT'' 1917 के अंतर्गत कोई नियम प्रख्यापित किये गये हों तो तद्नुसार उन नियमों के प्रति भेजते हुए आयोग को अवगत कराने का कष्ट करें।

(तारकेन्द्र वैष्णव)
सचिव